प्रबुद्धजनों का आशीर्वाद हमेशा मोदी पर रहेगा : जिलाध्यक्ष बारहठ

राजसमंद, 21 जून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में व्यापार के क्षेत्र में व्यापारियों के लिए जो योजनाएं लागू की गई हैं वो आज से पहले कभी नहीं हुई इन 9 वर्षों में देश व विदेश में भारत का व्यापार उत्तरोत्तर वृद्धि ही कर रहा है। विश्व में भारत देश का व्यापार चारों तरफ फैला हुआ है। इसके साथ ही देश मे व्यापार फलफूल रहा है। ये सभी हो रहा है केंद्र की मोदी सरकार ने जो योजनाएं लागू की है उसकी वजह से। इसके साथ ही जिले में मार्बल के क्षेत्र में जो व्हाइट मार्बल व ग्रेनाइट का व्यापार बढा है उससे भी जिले में रोजगार मिला है। आज भारत की अर्थव्यवस्था में व्यापारिक लोगों का बहुत बडा योगदान है। जिला मीडिया प्रवक्ता अरविंद सिंह भाटी ने बताया कि यह बात भाजपा प्रदेश महामंत्री व सांसद दिया कुमारी ने भाजपा जिला कार्यालय में व्यापार समूहों व प्रबुद्ध जन सम्मेलन विचार विमर्श के दौरान कही। इस अवसर पर मुख्य वक्ता नवीन कुमार चोरडिया ने कहा कि आज देश में जितना सम्मान प्रबुद्धजनों का है उतना सम्मान मुझे लगता है किसी और का नहीं है। इसी कारण से देश के सभी प्रबुद्धजनों का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमेशा बना हुआ है। आज देश में प्रबुद्धजनों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रत्येक क्षेत्र में है न कि किसी एक क्षेत्र में।

भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित सम्मेलन में मंचासीन अतिथि व मौजूद व्यापारी व प्रबुद्ध जन।

आज मोदीजी के कार्यकाल को 9 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत ही गर्व का विषय है कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसके लिए देश सर्वोपरि है और देश के लिए दिन रात एक करके रखा है। जिलाध्यक्ष मानसिंह बारहठ ने कहा कि राजसमन्द जिला व्यापार के क्षेत्र में प्रदेश व देश में अग्रणी स्थान रखता है।

जिले का व्यापार देश व विदेशों तक फैला हुआ है। इस अवसर पर चंद्र प्रकाश चोरडिया, विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड, दीप्ति माहेश्वरी, पूर्व विधायक बंशीलाल खटीक, नंदलाल सिंघवी, उपजिला प्रमुख सोहनी देवी गुर्जर, 9 साल बेमिसाल जिला कार्यक्रम संयोजक महेंद्र सिंह चौहान, विधानसभा कार्यक्रम प्रभारी राजकुमार अग्रवाल, महेंद्र टेलर, हितेश पालीवाल सहित जिले के व्यापारिक वर्ग व प्रबुद्धजन उपस्थित थे।

विधायक दीप्ति ने सम्पर्क समर्थन अभियान में विशिष्ट जनों से की भेंट

राजसमंद, 21 जून। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने सम्पर्क से समर्थन अभियान में सांसद दिया कुमारी एवं राजसमंद के विशिष्ट जनों से भेंट की। समाजसेवी चन्द्र प्रकाश चोरडिया, पदमश्री अलंकृत पर्यावरणविद श्यामसुन्दर पालीवाल, गायत्री परिवार के प्रमुख कार्यकर्ता घनश्याम पालीवाल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामचन्द्र देवपुरा के आवास पर जाकर भेंट की। विगत 9 वर्षो में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यक्रमों और उपलब्धियों पर चर्चा की। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि भारत ने सुशासन और आत्मनिर्भरता के नए युग में प्रवेश किया है। शासन प्रणाली से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के ठोस प्रयास किए गए हैं। व्यापार में सुगमता और भारत में बनाओं की पहल से अर्थव्यवस्था तीव्र विकास के पथ पर आगे बढ रही है।

भूल सुधार

राष्ट्रदूत उदयपुर के 21 जून 2023 में पेज नम्बर 3 पर प्रकाशित देवस्थान के नोटिस मे आगामी पेशी तारीख 29.6.23 की जगह 24.6.2023 पढा जावे।

वि.प्र.

आम सूचना

मेरे कार्यार्थी श्री भगवतसिंह सारंगदेवोत पिता श्री भंवर सिंह राजपूत, निवासी धोईन्दा, तहसील व जिला राजसमन्द के हिदायतानुसार हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि मेरे कार्यार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक आवासीय भूखण्ड संख्या 06 जो कि गणेशनगर, राजस्व ग्राम जावद, तहसील एवं जिला राजसमन्द में स्थित है जिसके भूखण्ड का क्षेत्रफल 1360 वर्गफीट होकर, जिससे सम्बन्धित एक आवासीय भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 27.05.1999 जो कि श्रीमती नीलम शर्मा पत्नि श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा श्री मुकेश पाराशर पिता श्री गणपतलाल पाराशर के पक्ष में निष्पादित किया गया था, जिसका पंजीयन उप-पंजीयक राजसमन्द द्वारा दस्तावेज संख्या 549/99 दिनांक 27.05.1999 से किया गया, धोईन्दा स्थित घर से राजनगर आते समय, दिनांक 14.06.2023 को मेरे कार्यार्थी श्री भगवतसिंह सारंगदेवोत से रास्ते में कहीं खो गया है, जिसके सम्बन्ध में एक गुमशुदगी रपट भी पुलिस थाना राजनगर में दर्ज करवाई गई है।

उक्त प्लाट मेरे कार्यार्थी ने पुर्व स्वामी श्री गोवर्धन सिंह पिता श्री हनुमानसिंह राजपूत से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 01.03.2021 से क्रय किया था।

मेरे कार्यार्थी द्वारा बैंक ऑफ बडौदा, शाखा राजसमन्द से उक्त आवासीय भूखण्ड को सामयिक दृष्टिबन्धक रखते हुए ऋण लिया जा रहा है।

अतः हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि उक्त भूखण्ड के असल आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 27.05.1999 (दस्तावेज संख्या 549/99 दिनांक 27.05.1999) के स्वामित्व बाबत् कोई उज्र, ऐतराज हो, तो वह दस्तावेजी साक्ष्य सहित 3 दिन में पेश करें, जो कोई उक्त असल विक्रय विलेख का दुरूपयोग करेगा, उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार रहेगा। दि.21.06.23

दीपक परमार, एडवोकेट, राजसमन्द
सनसिटी, भीलवाडा रोड़, कांकरोली तहसील
राजसमन्द (राज.) मो.न.9829923687

कार्यालय उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल, वृत, उदयपुर
(RHB Office Building चारण सिवडा सेक्टर-11, उदयपुर-313001)

क्रमांकः-उप आआ./वृत्त-उदय/2023-24/684
दिनांकः-19.6.2023

-:जाहिर आम सूचना (मृत्यु पश्चात):-

कियोस्क संख्या 15, पानेरियों की मादडी योजना, उदयपुर का आवंटन मण्डल द्वारा श्री जाकिर हुसैन पुत्र श्री गुलाम हुसैन को किया गया था। आवास का आवंटन पत्र क्रमांक 263 दिनांक 24.05.2001 को जारी किया गया।

श्री जाकिर हुसैन पुत्र श्री गुलाम हुसैन की मृत्यु दिनांक 31.10.2014 को हो जाने के पश्चात उनके पुत्र श्री साजिद हुसैन पुत्र स्व.श्री जाकिर हुसैन ने मृतक के कानूनन उत्तराधिकारी होने का दावा करते हुये उक्त कियोस्क का नामान्तरण अपने पक्ष में करने हेतु मण्डल में आवेदन किया। मृतक के विधिक वारिसान श्रीमती शरीफन बानो पत्नी स्व.श्री जाकिर हुसैन, श्री शाकीर हुसैन पुत्र स्व.श्री जाकिर हुसैन एवं श्रीमती रेशमा बानो पुत्री स्व.श्री जाकिर हुसैन ने उक्त कियोस्क में निहित अपने अधिकारों का त्याग जरिये रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) (पंजीकृत) के द्वारा दिनांक 09.06.2023 को श्री साजिद हुसैन पुत्र स्व.श्री जाकिर हुसैन के पक्ष में किया गया। श्री साजिद हुसैन पुत्र स्व.श्री जाकिर हुसैन ने प्रार्थना पत्र एवं आवश्यक प्रपत्र, रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) (पंजीकृत) मण्डल के निर्धारित प्रपत्रों में प्रस्तुत कर इस कार्यालय में निवेदन किया है कि उक्त आवास को उनके नाम कर दिया जावे।

अतः इस संबंध में किसी भी व्यक्ति/ पक्षकार को कोई आपत्ति तो हो 10 दिवस के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आपत्ति नहीं होने के कारण कियोस्क संख्या 15, पानेरियों की मादड़ी आवासीय योजना, उदयपुर का कानूनी उत्तराधिकारी मानकर श्री साजिद हुसैन पुत्र स्व.श्री जाकिर हुसैन के पक्ष में हस्तानान्तरण कर मण्डल रिकार्ड में रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) (पंजीकृत) के आधार पर दर्ज कर दिया जायेगा।

उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-उदयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल, वृत, उदयपुर
(RHB Office Building चारण सिवडा सेक्टर-11, उदयपुर-313001)

क्रमांकः-उप आआ./वृत्त-उदय/2023-24/685
दिनांकः-19.6.2023

-:जाहिर आम सूचना (मृत्यु पश्चात):-

कियोस्क संख्या 13, पानेरियों की मादडी आवासीय योजना, उदयपुर का आवंटन मण्डल द्वारा श्री शफी मोहम्मद पुत्र श्री अबरार मोहम्मद को किया गया था। आवास का आवंटन पत्र क्रमांक 254 दिनांक 24.05.2001 को जारी किया गया।

श्री शफी मोहम्मद पुत्र श्री अबरार मोहम्मद की मृत्यु दिनांक 24.09.2022 को हो जाने के पश्चात उनके पुत्र श्री मोहम्मद फारूक पुत्र स्व.श्री शफी मोहम्मद ने मृतक के कानूनन उत्तराधिकारी होने का दावा करते हुये उक्त कियोस्क का नामान्तरण अपने पक्ष में करने हेतु मण्डल में आवेदन किया। मृतक के विधिक वारिसान श्रीमती सलमा बानो पत्नी स्व.श्री शफी मोहम्मद, श्रीमती जीनत आरा पुत्री स्व.श्री शफी मोहम्मद एवं श्रीमती शबरीना पुत्री स्व.श्री शफी मोहम्मद ने उक्त कियोस्क में निहित अपने अधिकारों का त्याग जरिये रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) (पंजीकृत) के द्वारा दिनांक 25.05.2023 को श्री मोहम्मद फारूक पुत्र स्व.श्री शफी मोहम्मद के पक्ष में किया गया। श्री मोहम्मद फारूक पुत्र स्व.श्री शफी मोहम्मद ने प्रार्थना पत्र एवं आवश्यक प्रपत्र, रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) (पंजीकृत) मण्डल के निर्धारित प्रपत्रों में प्रस्तुत कर इस कार्यालय में निवेदन किया है कि उक्त आवास को उनके नाम कर दिया जावे।

अतः इस संबंध में किसी भी व्यक्ति/ पक्षकार को कोई आपत्ति तो हो 07 दिवस के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आपत्ति नहीं होने के कारण कियोस्क संख्या 13, पानेरियों की मादड़ी आवासीय योजना, उदयपुर का कानूनी उत्तराधिकारी मानकर श्री मोहम्मद फारूक पुत्र स्व.श्री शफी मोहम्मद के पक्ष में हस्तानान्तरण कर मण्डल रिकार्ड में रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) (पंजीकृत) के आधार पर दर्ज कर दिया जायेगा।

उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-उदयपुर

योग को दैनिक जीवन में अपनाएं: सांसद मीणा

सांसद अर्जुन लाल मीणा ने बताया आध्यात्मिक विकास के लिए योग का महत्व है।

उदयपुर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर की ओर से अंतराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज सनराइज नर्सिंग कॉलेज उमरडा में विशेष जागरूकता एंव योगाभ्यास कार्यक्रम तथा प्रदर्शनी, योग के महत्व पर मौखिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और मैजिक शौ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविधालय के प्राचार्य प्रोफेसर महेश दीक्षित, वरिष्ट आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ. शोभालाल ओदिच्य एवं सनराइज ग्रुप के चैयरमैन हरीश राजानी तथा केन्द्रीय संचार ब्यूरो के परवेश कमुार उपस्थित थे।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रुप मे सांसद अर्जुन लाल मीणा ने योग की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए योग का बड़ा महत्व है। उन्होने कहा कि योग से स्वास्थ्य लाभ के साथ -साथ शारीरिक एवं मानसिक शातिं मिलती है। उन्होने उपस्थित सभी नर्सिग के छात्र एवं छात्राओं से योग को अपनी दैनिक जीवनशैली मे अपनाने की अपील की।इस अवसर पर मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविधालय के प्राचार्य प्रोफेसर महेश दीक्षित ने वक्ता के रूप में बोलते हुए कहा की योग सिर्फ आसन और प्राणायाम न होकर संतुलित जीवन जीने का एक तरीका है।

मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव व सम्मान समारोह आयोजित

राजसमंद, 21 जून। राजसमंद सांसद दिया कुमारी एवं कुंभलगढ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड के साथ जिला प्रमुख रतनीदेवी चौधरी ने जिले के खमनोर विधानसभा की बामनहेडा ग्राम पंचायत के खुमानपुरा गांव में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का सम्मान समारोह में शिरकत की।

जिसमें केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का सांसद राजसमंद, जिला प्रमुख राजसमंद एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थी महिलाओं का इकलाई ओढाकर स्वागत करते हुए सांसद दीया कुमारी ने कहा की मोदी सरकार की योजनाओं से पूरा देश लाभान्वित हुआ है। गरीब उत्थान के साथ -साथ केंद्र ने राष्ट्र की मजबूती के लिए जो कदम उठाएं हैं वो बेमिसाल है। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था की जम्मू कश्मीर से धारा 37० को कोई हटा भी सकता है लेकिन मोदीजी ने यह काम कर दिखाया। अयोध्या में राम मंदिर बनने का सपना भी केंद्र सरकार के कारण ही पूरा हो पाया। इस मौके पर महेश प्रताप सिंह चौहान, योगेंद्र सिंह चौहान, पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित, कैलाश चौधरी, सीपी धींग, भीम सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष हरदयाल सिंह, नगर अध्यक्ष प्रदीप काबरा, कल्पना चौहान, देवेंद्र सिंह, कैलाश चौधरी सहित कई लाभार्थी एवं ग्रामीण उपस्थित थे।

राजस्थान-सरकार

कार्यालय नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ (राज.)

E-mail:-uitchittorgarh@gmail.com Phone : 01472-251055

क्रमांक/ नविन्याचि/भूउप/2023-24/329-32 दिनांक :-21.06.2023

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यास कार्यालय में निम्नलिखित प्रकरण भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् विचाराधीन है। इस उपयोग परिवर्तन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो न्यास कार्यालय में सूचना के जारी होने की तिथि से 7 दिवस में किसी भी कार्य दिवस में निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते है। इस समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर भू-उपयोग परिवर्तन बाबत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	राजस्व ग्राम	खसरा नं.	क्षैत्रफल	वर्तमान भू-उपयोग	चाहा गया भू-उपयोग परिवर्तन
1.	श्रीमती उषा रान्दड पत्नी श्री मधुसुदन रान्दड निवासी शास्त्रीनगर, चित्तौड़गढ़	ओछड़ी	468,471, 472 मी., 473 मी.,475, 478,1214/474	16546.46 वर्गमीटर	होटल एवं रिसोर्ट प्रयोजनार्थ	आवासीय प्रयोजनार्थ

सचिव .नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़

सांई तिरूपति वि.वि. में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया

सांई तिरूपति विश्वविद्यालय, उमरड़ा, परिसर मे अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।

उदयपुर। सांई तिरूपति विश्वविद्यालय, उमरडा, परिसर मे अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कुलपति डॉ. जे. के. छापरवाल के मार्गदर्शन मे सभी महाविद्यालयो एवं समस्त इकाइयों के कर्मचारियो ने भाग लिया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक डॉ. चिन्तन दोशी एवं श्रीमती राजश्री ने योग के बारे मे विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आज के समय में हर व्यक्ति तनावठास्त रहता है। ऐसी परिस्थिति में यदि योग का सहारा लिया जाये तो कई मुश्किलों का निवारण हो जाता है। उन्होंने यह बताया कि योग अध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक समस्याओं का एक प्राकृतिक हल है। शारीरिक मुद्रा, ध्यान, श्वांस लेने की समस्याओं का योग द्वारा ही निवारण सम्भव है। इस अवसर पर चेयरपर्सन आशीष अठावाल ने समस्त विश्वविद्यालय कर्मचारियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए नियमित रूप से योगा प्राणायाम के लिए प्रोत्साहित किया।

जिला स्तरीय कार्यक्रम में लोगों ने किया योग

नवम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर जेके गार्डन परिसर में लोगों ने योग किया।

राजसमंद, 21 जून। नवम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर जेके गार्डन परिसर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलक्टर नीलाभ सक्सेना ने किया। प्रारंभ में निर्धारित योग प्रोटोकॉल के अनुसार योग विशेषज्ञ डॉ रामकन्या मेनारिया, श्याम सिंह, मनोहर एवं करतार सिंह द्वारा योगाभ्यास करवाया गया। इसके पश्चात श्याम सिंह ने योग जीवन शैली को नित्य जीवन मे अपनाने की शपथ दिलाई कि प्रत्येक व्यक्ति नित्य घर में निर्बाध रूप से योग को अपनाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो रखेगा ही साथ ही समाज को भी स्वस्थ जीवन शैली के उद्देश्य में आगे बढाएगा। कार्यक्रम मे मतदाता जागरूकता स्वीप टीम के सदस्यों की उपस्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपप्रशासनिक अधिकारी द्वारा मतदान जागरूकता संदेश दिया गया। कार्यक्रम के नोडल प्रभारी डॉ राजीव भट्ट ने योग के महत्व की जानकारी देते हुए समाज में लोगों को योग अपनाकर अपने स्वास्थ्य के रक्षा करने का मूल मंत्र दिया। कार्यक्रम में एयू स्मॉल बैंक के प्रबंधक निरंजन एवं उनकी टीम द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को योगा मेट भेंट की गई एवं सभी आगंतुक योग प्रतिभागियों को नींबू पानी व जलपान की व्यवस्था करवाई गई।

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

भारतीय स्टेट बैंक
शाखा-सनवाड़ जिला- उदयपुर (राज.)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट-IV नियम 8(I) देखें

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता, **भारतीय स्टेट बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का सपठित नियम 3 के तहत् प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणग्रहिता (ऋणी/जमानती/बंधकर्ता) **श्री गोपी लाल पालीवाल पुत्र श्री जीवा राम पालीवाल, श्री दीपक पालीवाल पुत्र गोपी लाल पालीवाल, खाता संख्या 38158809792** को मांगनी करते हुए, मांग सूचना पत्र दिनांकित **01/08/2022 को रूपये 7,48,190.50/- (रुपये सात लाख अड़तालीस हजार एक सौ नब्बे और पचास पैसे मात्र) दिनांक 01/08/2022** तक व आगे का ब्याज एवं आकस्मिक खर्च/लागत सूचना-पत्र में उल्लेखित राशि को 60 दिनों के भीतर उक्त सूचना-पत्र की दिनांक/प्राप्ति दिनांक से लौटाने के लिये निर्गमित किया। ऋणग्रहिता (ऋणी/जमानती)के वह राशि लौटाने में विफल होने पर, ऋणग्रहिता को एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य **दिनांक 16 माह जून वर्ष 2023** को ग्रहण कर लिया हैं। "प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ का ध्यान अधिनियम की 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।" ऋणग्रहिता (ऋणी/जमानती/बंधककर्ता) को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा संपति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपति के साथ कोई व्यवहार **रूपये 10,82,159/- दिनांक 16/06/2023** तक व आगे का ब्याज एवं आकस्मिक खर्चे/लागत के लिये भारतीय स्टेट बैंक के प्रभार के अध्यधीन होगा।

स्थावर सम्पत्ति का विवरण

श्री गोपी लाल पालीवाल की आवासीय सम्पत्ति जो कि **खसरा नंबर 754, गांव-अमली, तहसील-मावली, जिला-उदयपुर, राजस्थान** में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन ढाचा आदि सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। **जिसकी माप लगभग 1364.88 वर्ग फीट है।**

चतुः सीमाएं: पूर्व में : कालू सिंह की भूमि; पश्चिम में : मोहन सिंह का घर; उत्तर में : सार्वजनिक मार्ग; दक्षिण में : दुलावत परिवार की दीवार

दिनांक : 16/06/2023
स्थान : अमली, मावली
प्राधिकृत अधिकारी
भारतीय स्टेट बैंक

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

भारतीय स्टेट बैंक
शाखा - धरियावद, जिला-प्रतापगढ़, (राज.)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट-IV नियम 8(I) देखें

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता, **भारतीय स्टेट बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का सपठित नियम 3 के तहत् प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणग्रहिता (ऋणी/जमानती/बंधकर्ता) **श्री बक्शी राम लबाना पुत्र श्री डॉक्टर जी लबाना और श्री भेरू लाल मीणा पुत्र श्री वाजिया मीणा (जमानती), अकाउंट नं. 61197593294** को मांगनी करते हुए, मांग सूचना पत्र दिनांकित **03/08/2021 को रूपये 7,31,067/- (रुपये सात लाख इकतीस हजार सडसट मात्र) दिनांक 29/07/2021** तक व आगे का ब्याज एवं आकस्मिक खर्च/लागत सूचना-पत्र में उल्लेखित राशि को 60 दिनों के भीतर उक्त सूचना-पत्र की दिनांक/प्राप्ति दिनांक से लौटाने के लिये निर्गमित किया। ऋणग्रहिता (ऋणी/जमानती)के वह राशि लौटाने में विफल होने पर, ऋणग्रहिता को एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य **दिनांक 16 माह जून वर्ष 2023** को ग्रहण कर लिया हैं। "प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ का ध्यान अधिनियम की 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।" ऋणग्रहिता (ऋणी/जमानती/बंधककर्ता) को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा संपति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपति के साथ कोई व्यवहार **रूपये 5,55,016/- दिनांक 16/06/2023** तक व आगे का ब्याज एवं आकस्मिक खर्चे/लागत के लिये भारतीय स्टेट बैंक के प्रभार के अध्यधीन होगा।

स्थावर सम्पत्ति का विवरण

श्री बक्शी राम लबाना पुत्र श्री डॉक्टर जी लबाना की आवासीय सम्पत्ति जो कि **मांडवी चारी, तहसील-धरियावद, जिला प्रतापगढ़ राजस्थान** में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन ढाचा आदि सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। **जिसकी माप लगभग 2516 वर्ग फीट है।**

चतुः सीमाएं: पूर्व में : माला राम पुत्र रूप जी की भूमि; पश्चिम में : रास्ता; उत्तर में : रास्ता; दक्षिण में : माला राम पुत्र रूप जी की घर

दिनांक : 16/06/2023
स्थान : धरियावद
प्राधिकृत अधिकारी
भारतीय स्टेट बैंक

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

भारतीय स्टेट बैंक
शाखा-हाई स्कूल रोड, जिला-प्रतापगढ़, (राज.)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट-IV नियम 8(I) देखें

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता, **भारतीय स्टेट बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का सपठित नियम 3 के तहत् प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणग्रहिता (ऋणी/जमानती/बंधकर्ता) **मैसर्स श्री राम वेल्डिंग वर्क्स जरिए प्रोपराइटर श्री वासुदेव लोहार पुत्र श्री ओम प्रकाश लोहार, श्री ओम प्रकाश लोहार पुत्र श्री भेरू लाल लोहार (गारंटर), खाता संख्या 38218385754, 38218618044** को मांगनी करते हुए, मांग सूचना पत्र दिनांकित **18/01/2023 को रूपये 15,18,955/- (रुपये पंद्रह लाख अठारह हजार नौ सौ पचपन मात्र) दिनांक 10/01/2023** तक व आगे का ब्याज एवं आकस्मिक खर्च/लागत सूचना-पत्र में उल्लेखित राशि को 60 दिनों के भीतर उक्त सूचना-पत्र की दिनांक/प्राप्ति दिनांक से लौटाने के लिये निर्गमित किया। ऋणग्रहिता (ऋणी/जमानती)के वह राशि लौटाने में विफल होने पर, ऋणग्रहिता को एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य **दिनांक 16 माह जून वर्ष 2023** को ग्रहण कर लिया हैं। "प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ का ध्यान अधिनियम की 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।" ऋणग्रहिता (ऋणी/जमानती/बंधककर्ता) को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा संपति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपति के साथ कोई व्यवहार **रूपये 15,18,955/- दिनांक 10/01/2023** तक व आगे का ब्याज एवं आकस्मिक खर्चे/लागत के लिये भारतीय स्टेट बैंक के प्रभार के अध्यधीन होगा।

स्थावर सम्पत्ति का विवरण

श्री वासुदेव लोहार पुत्र श्री ओम प्रकाश लोहार की आवासीय सम्पत्ति जो कि **वार्ड नंबर 6, बस स्टेण्ड, कुलथाना, जिला-प्रतापगढ़ राजस्थान** में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन ढाचा आदि सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। **जिसकी माप लगभग 600 वर्ग फीट है।**

चतुः सीमाएं: पूर्व में : गोपाल पुत्र श्री केशु लाल गायरी का घर; पश्चिम में : पंचायत की भूमि; उत्तर में : जयंती लाल की भूमि; दक्षिण में : रोड़

दिनांक : 16/06/2023
स्थान : कुलथाना, प्रतापगढ़
प्राधिकृत अधिकारी
भारतीय स्टेट बैंक

कार्यालय नगर पालिका भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

क्रमांकः-न.पा.भी./PSKS-2021/2023-24/ 4752-53 दिनांकः- 20.6.23

-: उजरदारी सूचना :-

सर्वसाधारण को सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है कि कार्यालय नगरपालिका भीण्डर में निम्न व्यक्तियों द्वारा राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961/राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69-ए के तहत पुरानी आबादी में भवन निर्माण/नामान्तरण की स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है। आवेदक द्वारा स्वयं एवं आस पड़ौस के व्यक्तियों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है। अतः आवेदक की सम्पत्ति के हक हकुक एवं मालिकाना स्वत्व संबंधी किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथी से 07 दिन में अपनी आपत्ति मय प्रमाण प्रस्तुत कर देवें। आपत्ति समयावधि के बाद प्रस्तुत करने पर मान्य नहीं होगी तथा पालिका द्वारा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति/नामान्तरण किया जावेगा। जिसमें बाद में कोई उजर मान्य नहीं होगा। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	आवेदित सम्पत्ति स्थान	आवेदित भुखण्ड का माप	पडौस
		नामान्तरण		
1	श्री मोहम्मद शहीद पिता युसूफ मोहम्मद मंसुरी	बाहर का शहर भीण्डर	1200.00 वर्गफीट	पूर्व-मानसिंह राजपूत का मकान व गली पश्चिम-आवागमन का रास्ता उत्तर-आवागमन का रास्ता दक्षिण-स्वयं विक्रेता का भूखण्ड
2	श्रीमती लीलादेवी पत्नि ओम प्रकाश चौबीसा	राणा प्रताप नगर भीण्डर	896.00 वर्गफीट	पूर्व-हरिवल्लभ आमेटा की आराजी पश्चिम-कॉलोनी का रास्ता उत्तर-भूखण्ड संख्या-08 बी दक्षिण-भूखण्ड संख्या-09-बी व 10 -ए
3	श्री नरेन्द्र कुमार पिता भैरूलाल तेली	प्रभात नगर	750.00 वर्गफीट	पूर्व-कॉलोनी का रास्ता 30 फीट चौडा पश्चिम-गायत्री चौबीसा का भूखण्ड उत्तर-प्रकाश चन्द्र का भूखण्ड दक्षिण-लीलादेवी का भूखण्ड 6-ए
		भवन निर्माण स्वीकृती		
4	श्री जगदीश चन्द्र पिता छगनलाल तेली	धारता रोड़ भीण्डर	1416.16 वर्गफीट	पूर्व-घासी तेली का भूखण्ड पश्चिम-आवागमन का रास्ता, गली उत्तर-आवागमन का रास्ता दक्षिण-सवराम नानालाल का मकान
5	श्री जमनालाल पिता छगनलाल तेली	धारता रोड़ भीण्डर	946.30 वर्गफीट	पूर्व-आम रास्ता, गली पश्चिम-जगदीश चन्द्र का मकान उत्तर-आम रास्ता दक्षिण-सवराम रेगर का मकान
6	श्री पन्ना लाल पिता चुन्नी लाल रेगर	हॉस्पीटल के पीछे भीण्डर	750.00 वर्गफीट	पूर्व-आवागमन का रास्ता पश्चिम-भूखण्ड संख्या 6 उत्तर-आवागमन का रास्ता दक्षिण-भूखण्ड संख्या 7

अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका भीण्डर